

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

( पीठासीन अधिकारी: सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस. )

प्रकरण संख्या:- 15 / 2024 (जीसीएमएस न. 2024 / 10)

दायर दिनांक:- 30.01.2024

उनवान

राधामोहन बनाम तहसीलदार निवाई

वादी की और से :- श्री अबरार अहमद

प्रतिवादी की और से :- पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत- अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि -1956

निर्णय

दिनांक...18-03-25

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा-128 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2969/3 रकबा 0.5059 है0, खसरा नम्बर 2968/7 रकबा 0.2782 है0, वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई तहसील निवाई में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार निवाई ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अपने जवाब में अंकित किया है कि मौके पर उक्त ख0न0 2969/3 व 2968/7 के चारों तरफ सघन आबादी बसी हुई है। मौके पर कब्जा संबंधी आंशिक विवाद है। ख0न0 2969/3 मौके पर खाली पड़ी हुई है एवं ख0न0 2968/7 पर केबिन रखी हुई है शेष भूमि खाली है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2969/3 रकबा 0.5059 है0, खसरा नम्बर 2968/7 रकबा 0.2782 है0, वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत्त निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक...18-03-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
निवाई जिला टोंक